संदर्भ संख्याः 3/Labr/0147/1-13 28 अप्रैल 2020/03 मई 2020

आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य,
माननीय उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश
आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य,
माननीय केबिनेट मंत्री
श्रम विभाग
उत्तर प्रदेश
श्री सतीश महाना
माननीय कैबिनेट मंत्री
औद्योगिक विभाग
उत्तर प्रदेश
श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह
माननीय कैबिनेट मंत्री
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश
श्री चौधरी उदयभान सिंह
माननीय राज्य मंत्री
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश
डा0 दिनेश शर्मा
माननीय उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश
श्री श्रीकांत शर्मा
माननीय केबिनेट मंत्री
ऊर्जा एवं अतिरिक्त उर्जा स्रोत
उत्तर प्रदेश
श्री सुरेश खन्ना
माननीय केबिनेट मंत्री
वित्त, उत्तर प्रदेश
श्री बृजेश पाठक
माननीय केबिनेट मंत्री
विधायी, उत्तर प्रदेश
श्री कपिल देव अग्रवाल
माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश
डॉ० महेंद्र सिंह
माननीय कैबिनेट मंत्री
जल शक्ति विभाग, भूगर्भ जल
उत्तर प्रदेश
श्री सुरेश राणा
माननीय केबिनेट मंत्री

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
उत्तर प्रदेश
श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नंदी''
माननीय केबिनेट मंत्री
नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तर प्रदेश
श्री चेतन चौहान
माननीय केबिनेट मंत्री
सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा
उत्तर प्रदेश

विषय : प्रदेश के लॉकडाउन अवधि में बन्द पड़े उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों को माह अप्रैल 2020 एवं उसके उपरांत लॉकडाउन अवधि का वेतन दे पाने की असमर्थता के सम्बन्ध में।

महोदय,

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0) केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिये किये जा रहे प्रयासो की सराहना करता है। संकट की इस घड़ी में आई0आई0ए0 जिसके उत्तर प्रदेश में 8000 से अधिक सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सदस्य है सरकार के इन प्रयासो में अनेक प्रकार से पूर्ण सहयोग कर रहा है।

महोदय, इस आपदा से प्रदेश में लॉकडाउन के कारण बन्द पड़े सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बुरी तरह से प्रभावित है और यदि इस सेक्टर को शीघ्र सहायता प्रदान नही की गयी तो अधिकतम छोटे उद्योग या तो बन्द हो जाएगें अथवा लॉकडाउन स्थिति समाप्त होने पर पुनः अपना उत्पादन सुचारू रूप से प्रारम्भ नही कर पाएगें। आपको ज्ञात ही है कि सामान्य परिस्थितियों में भी सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पास विभिन्न खर्चो को पूरा करने के लिये तरलता/धन का आभाव रहता है और किसी भी हालत में यह तरलता एक महीने से अधिक समय के लिये उपलब्ध नही होती है। कोविड–19 महामारी के कारण उद्योगों में उत्पादन गतिविधियॉ 15 मार्च 2020 से ही प्रभावित हो गयी थी और 25 मार्च 2020 से तो प्रोडक्शन गतिविधियॉ गैर जरूरी उद्योगों में पूर्णतया बन्द है। 15 मार्च 2020 से पहले भी होली के त्यौहार के कारण लगभग एक सप्ताह तक लघु उद्योगों मे कार्य सुचारू से नही हो सका था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश एवं देश में आर्थिक मंदी के कारण लघु उद्योग मार्च 2020 से पहले से ही प्रभावित थे।

लॉकडाउन के कारण बन्द पड़े उद्योगों में उत्पादन ठप्प है, जो सामान बेचा गया था उसकी पेमेन्ट रूक गयी है, जो माल उद्योगों में तैयार अथवा अर्धतैयार स्थिति में था वह फैक्ट्रीयों में ही पड़ा हुआ है, बैंको से लिये गये कर्ज पर व्याज चालू है, मार्च महीना क्योकि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है इसलिए अनेक वार्षिक देनदारियॉ देना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त जिनसे कच्चा माल खरीदा है उनकी देनदारी भी सर पर है और उद्यमी को अपने परिवार का भरण–पोषण भी करना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एक अप्रैल को आई0आई0ए0 के निवेदन पर उद्योगों के बिजली बिलों पर फिक्सड चार्ज मॉफ करने की घोषणा की थी उसे भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने लागू नही किया है और अपने आदेशों में फिक्सड चार्ज को केवल आंशिक रूप से स्थगित किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा जैसे तैसे अपने कर्मचारियो का माह मार्च का वेतन अदा कर दिया है। परन्तु उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण बन्द पड़े उद्योगों के पास धन की उपलब्धता बिल्कुल नही है जिसके कारण वे अपने कर्मचारियों का अप्रैल 2020 एवं उसके उपरांत लॉकडाउन अवधि का वेतन देने में असमर्थ है। यदि लॉकडाउन की स्थिति आगे बढ़ती है और उद्योगों का संचालन शुरू नही होता है तो यह स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। आई0आई0ए0 में हमने अपने सभी सदस्यों के साथ वेतन न दे पाने की गम्भीर समस्या पर विस्तृत विचार–विमर्श किया है जिसके उपरान्त स्थिति से निपटने के लिये निम्नलिखित सुझाव तथा आश्वासन सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की ओर से आये है जिन्हें हम आपको एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय से प्रेषित कर रहे है कि इन पर प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करे :–

1. सभी सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी मानवता के आधार पर अपने कर्मचारियो एवं उनके परिवारों के जीवनयापन को अपने परिवार के सदस्य के रूप में सुनिश्चित करने के लिये कृत संकल्प है। उद्यमियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे अपने कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताओ को अपने सामर्थ के अनुसार पूर्ण करेगें और किसी को भी भूखा नही रहने देगें।

2. प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी सरकार से यह अपेक्षा करते है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्माणकर्मियों के लिये सहायता पैकेज की घोषणा की है उसी प्रकार का पैकेज लॉकडाउन के कारण बन्द पड़े सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये भी घोषित करने की कृपा करें।

3. श्रम विभाग के वर्तमान आदेशों जिसके अनुसार लॉकडाउन अवधि में बन्द पड़े उद्योगों को अपने कर्मचारियों को वेतन देने की अनिवार्यता है और अन्यथा कि स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है, को वापिस लेकर एक ऐसा आदेश जारी किया जाये जिसका अनुपालन लॉकडाउन के कारण बन्द पड़े उद्योग कर सकें।

आशा है आप हमारे उपरोक्त प्रस्ताव/निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराकर समस्या का निदान कराने की कृपा करेंगें।

धन्यवाद

पंकज कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष